अंकुश: सरकारी कर्मचारी या सम्पन्न व्यक्ति ने नरेगा जॉबकार्ड बनवाकर उठाया भुगतान तो वापस वसूली जाएगी रकम

पायलट प्रोजेक्ट में अजमेर और भीलवाड़ा के श्रमिकों के जुड़ेंगे जनाधार कार्ड

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। खाद्य विभाग के बाद अब नरेगा योजना में जरूरतमंदों का हक छीनने वाले सरकारी कर्मचारियों और सम्पन्न लोगों के लाभ उंठाने की प्रक्रिया पर विराम लगाने की तैयारी की जा रही है। किसी सरकारी कर्मचारी या ऊंची आय वाले परिवार नरेगा जॉबकार्ड बनवाकर मजदूरी उठाएंगे तो उनकी छंटनी कर उनसे अब तक ली गई राशि ब्याज सहित वसूली जाएगी। राज्य नरेगा विभाग ने भुगतान के लिए श्रमिकों के जनाधार जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अजमेर और भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत की जा रही है। हाल ही में केन्द्र सरकार के साथ वीसी में ग्रामीण विकास विभाग के अफसरों ने यह मुद्दा उठाया था। राजस्थान की तरफ से यह सुझाव दिया गया कि नरेगा में किसी जरूरतमंद को ही योजना का

लाभ मिले। जरूरतमंद का हक छीनने वाले लोगों का नाम भी नरेगा जॉबकार्ड में जुड़ने की आशंकाएं बनी हुई हैं। लिहाजा जनाधार नम्बर जोड़कर ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सकती है। उसके बाद केन्द्र सरकार ने राजस्थान के इस सुझाव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी आधार की जानकारी: राज्य नरेगा विभाग ने अजमेर और भीलवाड़ा के नरेगा श्रमिकों के जनाधार नम्बर की जानकारी सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपने की कार्रवाई तेज कर दी है। सभी श्रमिकों के नम्बरों का रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद केन्द्र सरकार उन नम्बरों को भुगतान प्रक्रिया से जोड़ देगी। इससे सरकारी कर्मचारी या सम्पन्न परिवारों के जॉबकार्ड बनवाने की जानकारी भी सामने आ जाएगी।

केन्द्र सरकार के सहयोग से पहले अजमेर और भीलवाड़ा के श्रमिकों का जनाधार जोड़ा जाएगा। उसके बाद सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। हमारी मंशा है कि नरेगा में जरूरतमंद को ही रोजगार का लाभ मिले। इसके लिए जरूरतमंदों का हक छीनने वालों की छंटनी करने का हमारा प्रयास है।

-केके पाठक, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग

Dainik Navjyoti Pg 8. 27/7/22